13/5/25 पत्रावली पेश हुई मुकदमा अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज हो चुका है। जबकि दावा कायम होता है। चूंकि मुकदमा खारिज होने के कारण प्रार्थना पत्र 212 BTAct की तरफ निरस्त (समाप्त) की जाती है। दि० 15-1-2019 को पारित स्थगन आदेश निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मुताबिक बाद तकमील सलंग्न रहे।

उपखण्ड अधिकारी
बाड़ी (धौलपुर) राज.